

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 568]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 11 नवम्बर 2021 — कार्तिक 20, शक 1943

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 2 नवम्बर 2021

अधिसूचना

क्रमांक 90/छ.रा.वि.नि.आ./2021.— विद्युत अधिनियम 2003 (वर्ष 2003 का क्रमांक 36) की धारा 181 की उप धारा (2) (जेडके) सहपठित धारा 91 (2) एवं (3) में विहित प्रावधानों एवं पदवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा छत्तीसगढ़ शासन के अनुमोदन से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (छ.ग.रा.वि.नि.आ.) द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) विनियम-2005 बनाया गया। छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग के पत्र क्रमांक एफ-10-3/2004/13/1 दिनांक 28/05/2010 से आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु पुनरीक्षित पद संरचना पर अनुमोदन प्राप्त किया गया। उक्त संशोधित पद संरचना को ध्यान में रखते हुए कुछ संशोधन की आवश्यकता पाई गई, छ.ग.रा.वि.नि.आ. एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम-2021 बनाता है, अर्थात:-

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम-2021

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ:

- (1) इस विनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2021 है।
- (2) यह विनियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होगा।
- (3) इस विनियम में उपयोग किए गए अन्य सभी शब्द और अभिव्यक्तियाँ, जो इस विनियम में परिभाषित नहीं हैं, उनका वही अर्थ होगा जो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) विनियम, 2005 में है। (आगे मूल विनियम के नाम से संदर्भित)

2. मूल विनियम के विनियम 24 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है —

24. संविदा सेवा

आयोग की सेवायें हेतु आवश्यकता पड़ने पर, लिखित में कारण दर्ज कर किसी भी रिक्त पद पर संविदा आधार पर नियुक्ति की जा सकेगी। संविदा नियुक्ति प्रथम बार, तीन वर्ष की कालावधि के लिए की जायेगी, तथापि, आयोग, आवश्यकता के आधार पर तथा संबिदा आधार पर नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन करने के पश्चात्, संबिदा नियुक्ति की कालावधि को एक बार में अधिकतम तीन वर्ष तक के लिए बढ़ाते हुए, संविदा नियुक्ति के नवीनीकरण का निर्णय ले सकेगा। संविदा नियुक्ति हेतु शर्तें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुरूप होंगी।

3. **परिशिष्ट-1 में संशोधन** – मूल विनियम के परिशिष्ट-1 को परिशिष्ट-1 से प्रतिस्थापित किया जाता है।
4. **परिशिष्ट-2 में संशोधन** – मूल विनियम के परिशिष्ट-2 को परिशिष्ट-2 से प्रतिस्थापित किया जाता है।
5. **परिशिष्ट-3 में संशोधन** – मूल विनियम के परिशिष्ट-3 को परिशिष्ट-3 से प्रतिस्थापित किया जाता है।
6. **परिशिष्ट-4 में संशोधन** – मूल विनियम के परिशिष्ट-4 को परिशिष्ट-4 से प्रतिस्थापित किया जाता है।

आयोग के आदेशानुसार

हस्ता./—

(एस.पी. शुक्ला)
सचिव.

परिशिष्ट-1

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग में अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वर्गीकरण एवं पदों की संख्या

खण्ड—“क”

अधिकारियों की नियुक्ति का तरीका

क्र.	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	नियुक्ति का तरीका
1.	सचिव	1	वर्ग-1	लेवल-17 ₹1,41,800—₹2,14,700	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा
2.	निदेशक (इंजीनियरिंग)	1	तदैव	लेवल-17 ₹1,41,800—₹2,14,700	तदैव
3.	निदेशक (टैरिफ)	1	तदैव	लेवल-17 ₹1,41,800—₹2,14,700	तदैव
4.	निदेशक (विधि)	1	तदैव	लेवल-17 ₹1,41,800—₹2,14,700	तदैव
5.	आर्थिक सलाहकार '	1	तदैव	लेवल-15 ₹1,18,500—₹2,14,100	तदैव
6.	संयुक्त निदेशक (इंजीनियरिंग)	1	तदैव	लेवल-14 ₹79,900—₹2,11,700	तदैव
7.	संयुक्त निदेशक (टैरिफ)	1	तदैव	लेवल-14 ₹79,900—₹2,11,700	तदैव
8.	वरिष्ठ विधि अधिकारी '	1	तदैव	लेवल-14 ₹79,900—₹2,11,700	तदैव
9.	आर्थिक विश्लेषक	1	तदैव	लेवल-14 ₹79,900—₹2,11,700	सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा
10.	उप सचिव	1	तदैव	लेवल-14 ₹79,900—₹2,11,700	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा
11.	उप निदेशक (इंजीनियरिंग)	2	तदैव	लेवल-13 ₹67,300—₹2,13,100	सीधी भर्ती या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा

12.	उप निदेशक (टैरिफ)	1	तदैव	लेवल-13 ₹67,300—₹2,13,100	सीधी भर्ती या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा
13.	विधि अधिकारी	1	तदैव	लेवल-13 ₹67,300—₹2,13,100	सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा
14.	उप निदेशक (उपभोक्ता समर्थन प्रकोष्ठ) '	1	तदैव	लेवल-13 ₹67,300—₹2,13,100	तदैव
15.	सहायक निदेशक (इंजीनियरिंग) '	2	वर्ग-2	लेवल-12 ₹56,100—₹1,77,500	तदैव
16.	सहायक निदेशक (टैरिफ) '	1	तदैव	लेवल-12 ₹56,100—₹1,77,500	तदैव
17.	सहायक निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकि एवं नियामक सूचना प्रबंधन प्रणाली) '	1	तदैव	लेवल-12 ₹56,100—₹1,77,500	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा
18.	लेखा अधिकारी '	1	तदैव	लेवल-12 ₹56,100—₹1,77,500	तदैव
19.	अनुभाग अधिकारी '	1	तदैव	लेवल-11 ₹49,100—₹1,55,800	प्रतिनियुक्ति द्वारा
20.	निज सचिव	2	तदैव	लेवल-11 ₹49,100—₹1,55,800	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा

नोट:- 1. आरक्षण और आयु में छूट के लिए राज्य शासन की नीति को अपनाया जाएगा।

2. *नवीन पद स्वीकृत

खण्ड-“ख”

कर्मचारियों की नियुक्ति का तरीका

क्र.	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	नियुक्ति का तरीका
1.	निज सहायक	05	तृतीय	लेवल-9 ₹38100—₹1,20,400	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा
2.	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर	02	तदैव	लेवल-9 ₹38100—₹1,20,400	तदैव
3.	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	01	तदैव	लेवल-9 ₹38100—₹1,20,400	पदोन्नति या सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा
4.	स्टेनोग्राफर	05	तदैव	लेवल-7 ₹28,700—₹91,300	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा
5.	कम्प्यूटर सहायक	03	तदैव	लेवल-6 ₹25,300—₹80,500	सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा
6.	कार्यालय सहायक ग्रेड-2	04	तदैव	लेवल-6 ₹25,300—₹80,500	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा
7.	स्टेनोग्राफिस्ट	04	तदैव	लेवल-4 ₹19,500—₹62,000	सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा
8.	कार्यालय सहायक ग्रेड-3	05	तदैव	लेवल-4 ₹19,500—₹62,000	पदोन्नति या सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से 25 प्रतिषत पदोन्नति द्वारा एवं 75 प्रतिषत सीधी भर्ती द्वारा)
9.	वाहन चालक	04	तदैव	लेवल-4 ₹19,500—₹62,000	सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा
10.	भृत्य	11	चतुर्थ	लेवल-1	तदैव

				₹15,600—₹49,400	
11.	माली '	01	तदैव	लेवल-1 ₹15,600—₹49,400	तदैव

- नोट:— 1. आरक्षण और आयु में छूट के लिए राज्य शासन की नीति को अपनाया जाएगा।
2. *नवीन पद स्वीकृत

परिशिष्ट-2

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नियुक्ति प्राधिकारी, अनुशासनिक प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी एवं समीक्षा प्राधिकारी

विवरण	परिशिष्ट-1 के खण्ड 'अ' में सम्मिलित अधिकारियों के लिए	परिशिष्ट-1 के खण्ड 'ब' में सम्मिलित कर्मचारियों के लिए
(i) नियुक्ति प्राधिकारी	आयोग	अध्यक्ष
(ii) अनुशासनिक प्राधिकारी,	अध्यक्ष	सचिव
(iii) अपील प्राधिकारी	आयोग	अध्यक्ष
(iv) समीक्षा प्राधिकारी	आयोग	आयोग

परिशिष्ट-3

खण्ड-“क”

सीधी भर्ती वाले पदों के लिए योग्यता एवं अनुभव

क्र.	पदनाम	आवश्यक योग्यता एवं न्यूनतम अनुभव	अतिरिक्त योग्यता/ वांछनीय अनुभव
01	आर्थिक विश्लेषक	(क) सी.ए./आई.सी.डब्ल्यू.ए.आई/सी.एम.ए या एम.बी.ए (फाइनेन्स) (ख) व्यवसायिक योग्यता की पूर्णता उपरांत कम से कम 12 वर्ष का व्यवसायिक अनुभव (ग) विश्लेषणात्मक एवं मॉडलिंग स्किल में दक्षता तथा फायनेन्सियल स्टेटमेंट विश्लेषण में दक्षता (घ) कम्प्यूटर में एम.एस. एक्सेल शीट एवं डाटाबेस में कार्य करने में कुशलता।	(क) मूल्य/ टैरिफ निर्धारण का ज्ञान (ख) ऊर्जा क्षेत्र के वाणिज्यिक संबंधित विषयों के विश्लेषण तथा समस्याओं के समाधान का अनुभव।
02	विधि अधिकारी	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/विधि विद्यालय से विधि में स्नातक की डिग्री (ख) विधि क्षेत्र में कम से कम 7 वर्ष का लीगल प्रैक्टिस का अनुभव अथवा राज्य शासन/केन्द्र शासन/शासकीय उपक्रम या नियामक संस्था/अधिकरण में नियमित विधि अधिकारी/विधि सलाहकार के पद पर 7 वर्ष का कार्य अनुभव।	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/विधि विद्यालय से विधि में स्नातकोत्तर की डिग्री। (ख) आदेश/विनियम बनाने का पर्याप्त ज्ञान। (ग) विद्युत क्षेत्र से संबंधित विधियों का पर्याप्त ज्ञान।
03	उप निदेशक (उपभोक्ता समर्थन प्रकोष्ठ)	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री। (ख) उपभोक्ता शिकायतों के निराकरण का कम से कम 7 वर्ष का अनुभव, विद्युत संबंधी शिकायतों के निराकरण के अनुभव को प्राथमिकता।	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से अभियांत्रिकी या विधि से स्नातक उपाधि। (ख) अंग्रेजी एवं हिन्दी में दक्षता। (ग) विद्युत अधिनियम एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का सामान्य ज्ञान।
04	उप निदेशक (टैरिफ)	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को प्राथमिकता (ख) केन्द्र/राज्य शासन के विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम अथवा पॉवर यूटिलिटी अथवा विद्युत नियामक आयोग अथवा विद्युत के क्षेत्र में परामर्श सेवाएँ प्रदाय करने वाले प्रतिष्ठित सलाहकार संस्था में कम से कम 7 वर्ष का कार्य अनुभव।	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिग्री को प्राथमिकता (ख) पारेषण अथवा वितरण सिस्टम के डिजाइनिंग, प्लानिंग, निर्माण कार्य का अनुभव,

05	उप निदेशक (इंजीनियरिंग)	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री, इलेक्ट्रिकल/मेकेनिकल इंजीनियरिंग को प्राथमिकता (ख) केन्द्र/राज्य शासन के विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम अथवा पॉवर यूटिलिटी अथवा विद्युत नियामक आयोग अथवा विद्युत के क्षेत्र में परामर्श सेवायें प्रदाय करने वाले प्रतिष्ठित सलाहकार संस्था में कम से कम 7 वर्ष का कार्य अनुभव।	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से इलेक्ट्रिकल अथवा मेकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिग्री को प्राथमिकता (ख) उत्पादन, पारेषण अथवा वितरण सिस्टम के डिजाइनिंग, प्लानिंग, निर्माण कार्य का अनुभव,
06	सहायक निदेशक (टैरिफ)	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को प्राथमिकता (ख) केन्द्र/राज्य शासन के विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम अथवा पॉवर यूटिलिटी अथवा विद्युत नियामक आयोग अथवा विद्युत के क्षेत्र में परामर्श सेवायें प्रदाय करने वाले प्रतिष्ठित सलाहकार संस्था में कम से कम 2 वर्ष का कार्य अनुभव।	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिग्री को प्राथमिकता (ख) पारेषण अथवा वितरण सिस्टम के डिजाइनिंग, प्लानिंग, निर्माण कार्य का अनुभव,
07	सहायक निदेशक (इंजीनियरिंग)	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री, इलेक्ट्रिकल/मेकेनिकल इंजीनियरिंग को प्राथमिकता (ख) केन्द्र/राज्य शासन के विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम अथवा पॉवर यूटिलिटी अथवा विद्युत नियामक आयोग अथवा विद्युत के क्षेत्र में परामर्श सेवायें प्रदाय करने वाले प्रतिष्ठित सलाहकार संस्था में कम से कम 2 वर्ष का कार्य अनुभव।	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से इलेक्ट्रिकल अथवा मेकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिग्री को प्राथमिकता (ख) उत्पादन, पारेषण अथवा वितरण सिस्टम के डिजाइनिंग, प्लानिंग, निर्माण कार्य का अनुभव,
08	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से वाणिज्य में स्नातक डिग्री। (ख) केन्द्र/राज्य शासन के वित्त विभाग अथवा केन्द्र/राज्य शासन के सार्वजनिक उपक्रम अथवा किसी भी पॉवर यूटिलिटी में 3 वर्ष का कार्य अनुभव। (घ) कम्प्यूटर में एम.एस. एक्सेल शीट एवं डाटाबेस में कार्य करने में कुशलता।	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से वाणिज्य में स्नातकोत्तर डिग्री। (ख) कोषालय संचालन, ऑडिट, बजट, बैंकिंग कार्य का अनुभव (ग) पे-रोल एकाउंटिंग एवं बहीखाता के संधारण का अनुभव। (घ) टैली (जंससल) पर कार्य करने का अनुभव
09	कम्प्यूटर सहायक	(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री एवं मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से पीजीडीसीए। अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से बी.सी.ए. या कम्प्यूटर साइन्स अथवा सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री	(क) बड़े संस्थान में लोकल एरिया नेटवर्क के संचालन एवं संधारण का अनुभव (ख) अंग्रेजी भाषा में दक्षता
10	सहायक ग्रेड-3	(क) राज्य बोर्ड अथवा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अथवा आई.सी.एस.ई से 12वीं उत्तीर्ण (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/ प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा /सर्टिफिकेट (ग) कम्प्यूटर में टायपिंग का 5000 की डिप्रेषन प्रतिघंटा की गति।	लेखन एवं बोलचाल में दक्षता।
11	स्टेनो टायपिस्ट	(क) राज्य बोर्ड अथवा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अथवा आई.सी.एस.ई से 12वीं उत्तीर्ण (ख) मान्यता प्राप्त मंडल से शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण। शीघ्रलेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होनी चाहिये। (ग) मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा सर्टिफिकेट तथा कम्प्यूटर में डाटा एन्ट्री की 5,000 की डिप्रेषन प्रति घंटा की गति।	द्वि-भाषीय शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन में दक्षता धारित व्यक्ति को प्राथमिकता।

12	वाहन चालक	(क) राज्य बोर्ड अथवा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अथवा आई.सी.एस.ई से मान्यता प्राप्त स्कूल से न्यूनतम आठवीं पास। (ख) लाइट मोटर व्हीकल को चलाने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव (ग) वैध लाइट मोटर व्हीकल लाईसेन्स धारक।	राज्य शासन/अर्धशासकीय विभागों के स्टाफ कार चलाने का अनुभव
13	भृत्य	राज्य बोर्ड अथवा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अथवा आई.सी.एस.ई से मान्यता प्राप्त स्कूल से न्यूनतम आठवीं पास	राज्य शासन/अर्धशासकीय संस्थानों में संविदा/दैनिक वेतन भोगी अंतर्गत कार्यरत् भृत्य को प्राथमिकता
14	माली	राज्य बोर्ड अथवा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अथवा आई.सी.एस.ई से मान्यता प्राप्त स्कूल से न्यूनतम आठवीं पास	राज्य शासन/अर्धशासकीय संस्थानों में संविदा/दैनिक वेतन भोगी अंतर्गत कार्यरत् माली को प्राथमिकता

परिशिष्ट-4

पदोन्नति से भरे जाने वाले पद एवं उनका पदोन्नति का क्रम

क्र.	पदोन्नत पद	पद जिनसे पदोन्नत किया जावेगा	पात्रता
1	सचिव	उप सचिव/ संयुक्त निदेशक (इंजीनियरिंग)/ संयुक्त निदेशक (टैरिफ)	5 वर्ष
2	निदेशक (इंजीनियरिंग)	संयुक्त निदेशक (इंजीनियरिंग)	5 वर्ष
3	निदेशक (टैरिफ)	संयुक्त निदेशक (टैरिफ)	5 वर्ष
4	निदेशक (विधि)	वरिष्ठ विधि अधिकारी	5 वर्ष
5	आर्थिक सलाहकार	आर्थिक विश्लेषक	3 वर्ष
6	संयुक्त निदेशक (इंजीनियरिंग)	उप निदेशक (इंजीनियरिंग)	5 वर्ष
7	संयुक्त निदेशक (टैरिफ)	उप निदेशक (टैरिफ)	5 वर्ष
8	वरिष्ठ विधि अधिकारी	विधि अधिकारी	5 वर्ष
9	उप निदेशक (इंजीनियरिंग)	सहायक निदेशक (इंजीनियरिंग)	5 वर्ष
10	उप निदेशक (टैरिफ)	सहायक निदेशक (टैरिफ)	5 वर्ष
11	लेखा अधिकारी	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	5 वर्ष
12	सहायक निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी एवं नियामक सूचना प्रबंधन प्रणाली)	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर	5 वर्ष
13	निज सचिव	निज सहायक	5 वर्ष
14	निज सहायक	स्टेनोग्राफर	5 वर्ष
15	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर	कम्प्यूटर सहायक	5 वर्ष
16	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	सहायक ग्रेड-2 (वह जिसने शासकीय लेखा प्रशिक्षण विद्यालय से लेखा प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण की हो)	5 वर्ष
17	स्टेनोग्राफर	स्टेनोग्राफिस्ट	5 वर्ष
18	कार्यालय सहायक श्रेणी-2	कार्यालय सहायक श्रेणी-3	5 वर्ष
19	कार्यालय सहायक श्रेणी-3 (कार्यालय सहायक श्रेणी-3 के स्वीकृत कुल पदों के 25 प्रतिशत पर)	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (जो कार्यालय सहायक श्रेणी-3 के पद हेतु निर्धारित अर्हता रखते हों)	5 वर्ष

टीप: छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी/3-7/97/3/एक दिनांक 16/05/1997 के अनुपालन में कार्यालय सहायक श्रेणी-3 के कुल स्वीकृत पद में से 25 प्रतिशत पद वर्ग-4 के कर्मचारियों से पदोन्नति द्वारा भरे जावेंगे।